संख्या-40/2020/387/बावन-1-2020-8(पी.एम.जे.वी.के.)/2019

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2020

विषय- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की 12वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 18.01.2019 एवं 31.01.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न जनपदों की विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण हेतु प्रथम किश्त केन्द्रांश की दो माह हेतु निर्गत धनराशि के अतिरिक्त **अवशेष प्रथम किश्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष बनने वाले समस्त परियोजनाओं की प्रथम किश्त राज्यांश** की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-368/अ0स0क0नि0/प्र0म0ज0वि0का0/2018-19, दिनांक 30 अप्रैल 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0-13/21/2019-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0, दि015.02.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कतिपय **जनपदों की विभिन्न परियोजनाओं** के निर्माण हेतु अनुमोदित कुल लागत रू0 17849.48 लाख से निम्न तालिका के कॉलम-5 में नामित कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत कार्य को करने हेतु कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 10583.56 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त कुल केन्द्रांश रू0 3969.816 लाख में से पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 08.03.2019 द्वारा दो माह हेतु निर्गत केन्द्रांश की धनराशि रू0 2134.692 लाख को घटाने के उपरान्त **कॉलम-12 में अवशेष प्रथम किश्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 1837.899 लाख (रूपये अट्ठाइस करोड़ सैंतीस लाख नवासी हजार नौ सौ मात्र) तथा कॉलम-13 में उसके सापेक्ष बनने वाले समस्त परियोजनाओं की प्रथम किश्त राज्यांश की धनराशि रू0 2715.687 लाख (रूपये सत्ताईस करोड़ पन्द्रह लाख अरसठ हजार सात सौ मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 4553.586 लाख (रूपये पैतालीस करोड़ तिरपन लाख अट्ठावन हजार छः सौ मात्र)** योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्न तालिका के कॉलम-3 में उल्लिखित परियोजनाओं के सम्मुख कॉलम-14 में प्राविधानित धनराशि तथा तालिका के कॉलम-15 में उल्लिखित सम्बन्धित लेखाशीर्षक के अनुसार कॉलम-12 व कॉलम-13 की सम्मिलित धनराशि अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत है:-

http://shasanadesh.up.gov.in

(केन्द्रांश-60/राज्यांश-40) (धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	जनपद	परियोजना/ स्थान का नाम	राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक /इम्पावर्ड कमेटी भा.स. की बैठक दिनांक/ भा.स. का पत्र सं0 व दिनांक	कार्यदायी संस्था	इकाई सं0	कुल लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	स्वीकृत केन्द्रांश की प्रथम किश्त (रू0 लाख में)	पूर्व में 02 माह हेतु अवमुक्त केन्द्रांशकी धनराशि	पूर्व में 02 माह हेतु अवमुक्त केन्द्रांश को घटाते हुये अवमुक्त हेतु अवशेष केन्द्रांश की धनराशि	अनुमोदित राज्यांश (कॉलम-9) की प्रस्तावित 50 प्रतिशत धनराशि	योजनाओं से सम्बन्धित लेखा शीर्षक में प्राविधानित बजट (रू0 लाख में)	योजनाओं से सम्बन्धित लेखा शीर्षक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	मेरठ	रजपुरा, जनीखुर्द एवं खरखौंदा में आंगन बाड़ी	रा.स्त. समिति की बैठक दि0 09.01.19, 12वीं इम्पावर्ड कमेटी बैठक दि0 18.01.19 एवं दि0 31.01.19/भा.स. का पत्र सं0-13/21/2019-एम. एस. डी. पी.-एम. ओ.एम.ए. दि015.02.2019	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0	5	37.50	22.50	15.00	11.25	**11.25**	पूर्व में जारी	7.50	2000	4235-02-800-01-0104
2	इटावा	नगर पालिका परिषद इटावा में आंगन बाड़ी	तदैव	पैकफेड	2	15.00	9.00	6.00	4.50	**4.50**	पूर्व में जारी	3.00	2000	4235-02-800-01-0104
3	सिद्धार्थ नगर	बड़ेपुर, खूनियाव, भगवान पुर, डुमरिया गंज एवं मिठवल में आंगन बाड़ी	तदैव	पैकफेड	11	82.50	49.50	33.00	24.75	**27.50**	पूर्व में जारी (27.50-24.75)=2.75 लाख अधिक धनराशि जारी हो गयी है।	16.50	2000	4235-02-800-01-0104
4	प्रतापगढ़	शिवगढ़ में आंगन बाड़ी	तदैव	पैकफेड	4	30.00	18.00	12.00	9.00	**9.00**	पूर्व में जारी	6.00	2000	4235-02-800-01-0104
5	गाजीपुर	भदोरा में आंगन बाड़ी	तदैव	उ0प्र0 प्रोजेक्ट-कारपोरेशन लि0	3	22.50	13.50	9.00	6.75	**6.75**	पूर्व में जारी	4.50	2000	4235-02-800-01-0104
6	बलराम पुर	गेदास बुजुर्ग,बलरामपुर, हरैया सतघरवा, तुलसीपुर, पचपेड़वा, उतरौला, श्रीदत्तगंजगेसडी एवं रेहरा बाजार में आंगन बाड़ी	तदैव	सी0एल0डी0एफ0	60	450.00	270.00	180.00	135.00	**135.00**	पूर्व में जारी	90.00	2000	4235-02-800-01-0104
		योग			85	637.50	382.50	255.00	191.25	194.00		**127.50**		

http://shasanadesh.up.gov.in

7	मुरादाबाद	प्राइमरी स्कूल, भगतपुर टाण्डा	तदैव	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0	1	14.75	8.85	5.90	4.425	**4.425**	पूर्व में जारी	2.95	1000	4235-02-800-01-0107
8	रामपुर	प्राइमरी स्कूल, बिलासपुर,चमरौवा,सेदननगर,मिलक, शाहाबाद एवं स्वार	तदैव	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0	48	708.00	424.80	283.20	212.40	**212.40**	पूर्व में जारी	141.60	1000	4235-02-800-01-0107
9	बाराबंकी	फतेहपुर में प्राइमरी स्कूल	तदैव	पैकफेड	2	29.50	17.70	11.80	8.850	**8.850**	पूर्व में जारी	5.90	1000	4235-02-800-01-0107
10	उन्नाव	उन्नाव एन0पी0पी0 प्राइमरी स्कूल	तदैव	पैकफेड	4	59.00	35.40	23.60	17.70	**17.70**	पूर्व में जारी	11.80	1000	4235-02-800-01-0107
11	बुलन्दशहर	बुलन्द शहर प्राइमरी स्कूल	तदैव	पैकफेड	2	29.50	17.70	11.80	8.850	**8.850**	पूर्व में जारी	5.90	1000	4235-02-800-01-0107
		योग			57	840.75	504.45	336.30	252.225	252.225		**168.15**		
12	मुरादाबाद	अपर प्राइमरी स्कूल, छजलैट	तदैव	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0	1	14.75	8.850	5.90	4.425	**4.425**	पूर्व में जारी	2.95	1000	4235-02-800-01-0108
13	रामपुर	बिलासपुर,चमरौवा, सेदनगर, मिलक, शादाबाद एवं स्वार में अपर प्राइमरी स्कूल	तदैव	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0	17	250.75	150.45	100.30	75.225	**75.225**	पूर्व में जारी	50.15	1000	4235-02-800-01-0108
14	सिद्धार्थनगर	नोगाद में अपर प्राइमरी स्कूल,	तदैव	पैकफेड	1	14.75	8.850	5.90	4.425	**4.425**	पूर्व में जारी	2.95	1000	4235-02-800-01-0108
		योग			19	280.25	168.15	112.10	84.08	84.08		**56.05**		
(केन्द्रांश-50/राज्यांश-50)														
15	सन्त कबीर नगर	सांथा एवं सेमरियावा में पेयजल आपूर्ति	तदैव	उ0प्र0 स्टेट कन्स्ट्र0 एण्ड इन्फ्रास्ट0 डेवल0 कारपो0 लि0कारपो0 (सिडको)	5	1262.27	631.15	631.15	315.5675	315.5675	**पूर्व में जारी**	315.5675	10000	4235-02-800-01-0117
		योग			**5**	**1262.27**	**631.15**	**631.15**	**315.5675**	**315.5675**		**315.5675**		

http://shasanadesh.up.gov.in

(केन्द्रांश-60/राज्यांश-40)														
16	बलराम पुर	नगर पालिका परिषद में सद्भाव मण्डप का निर्माण	तदैव	सी0एल0 डी0एफ0	1	234.00	140.40	93.60	42.12	42.12	**पूर्व में जारी**	28.08	4000	4235-02-800-01-0119
17	गोण्डा	बभनजोत में सद्भाव मण्डप का निर्माण	तदैव	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0	1	234.00	140.40	93.60	42.12	42.12	**पूर्व में जारी**	28.08	4000	4235-02-800-01-0119
18	मऊ	नगर पालिका परिषद में सद्भाव मण्डप का निर्माण	तदैव	पैकफेड	1	234.00	140.40	93.60	42.12	42.12	**पूर्व में जारी**	28.08	4000	4235-02-800-01-0119
19	गाजियाबाद	लोनी एन0पी0पी0 सद्भाव मण्डप का निर्माण	तदैव	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0	1	234.00	140.40	93.60	42.12	42.12	**पूर्व में जारी**	28.08	4000	4235-02-800-01-0119
20	मुजफ्फर नगर	बघारा में सद्भाव मण्डप का निर्माण	तदैव	पैकफेड	1	234.00	140.40	93.60	42.12	42.12	**पूर्व में जारी**	28.08	4000	4235-02-800-01-0119
21	कतिपय जिला	सद्भाव मण्डप का निर्माण हेतु संशेधित मॉडल के अनुसार	तदैव	कार्यदायी संस्था सम्बन्धी शासनादेश के अनुसार	18	4212.00	2527.20	1684.80	110.16	110.16	**पूर्व में जारी**	73.44	4000	4235-02-800-01-0119
22	गौतम बुद्ध नगर	दादरी में सद्भाव मण्डप का निर्माण	तदैव	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0	1	234.00	140.40	93.60	42.12	42.12	**पूर्व में जारी**	28.08	4000	4235-02-800-01-0119
		योग			24	5616.00	3369.60	2246.40	362.88	362.88		**241.92**		
23	इटावा	नगर पालिका परिषद में रा0 इण्टर कॉलेज का निर्माण	तदैव	पैकफेड	1	418.11	250.87	167.24	125.433	41.98	83.453	83.62	6000	4235–02–800–01–0109
24	प्रतापगढ़	शिवगढ़ में रा0 इण्टर कॉलेज का निर्माण	तदैव	पैकफेड	1	418.11	250.87	167.24	125.433	41.98	83.453	83.62	6000	4235–02–800–01–0109
25	बिजनौर	अफजलगढ़ में रा0 इण्टर कॉलेज का निर्माण	तदैव	पैकफेड	1	418.11	250.87	167.24	125.433	41.98	83.453	83.62	6000	4235–02–800–01–0109
26	बागपत	पिलाना में रा0 बालिका इण्टर कॉलेज का निर्माण	तदैव	पैकफेड	2	836.22	501.74	334.48	250.866	83.96	166.906	167.24	6000	4235–02–800–01–0109
27	मुजफ्फर नगर	बुढ़ाना,जान सठ एवं बिलासपुर में रा0 बालिका इण्टर कॉलेज	तदैव	पैकफेड	4	1672.44	1003.48	668.96	501.732	167.92	333.812	334.48	6000	4235–02–800–01–0109

http://shasanadesh.up.gov.in

28	बिजनौर	नजिबा बाद एवं अफजलगढ़ में रा0 बालिका इण्टर कॉलेज का निर्माण	तदैव	पैकफेड	3	1254.33	752.61	501.72	376.299	125.94	250.359	250.86	6000	4235–02–800–01–0109
29	रामपुर	बिलासपुर,सदनागढ़,मिलक,साहाबाद एवं स्वार में रा0 बालिकाइण्टर कॉलेज का निर्माण	तदैव	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0	6	2508.66	1505.22	1003.44	752.598	251.88	500.718	501.72	6000	4235–02–800–01–0109
30	गाजियाबाद	राजापुर में रा0 बालिका इण्टर कॉलेज का निर्माण	तदैव	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0	1	418.11	250.87	167.24	125.433	41.98	83.453	83.62	6000	4235–02–800–01–0109
31	बलरामपुर	बलरामपुर एवं श्रीदत्तगंज में रा0 बालिका इण्टर कॉलेज	तदैव	सी.एल.डी.एफ.	3	1254.33	752.61	501.72	376.299	125.94	250.39	250.86	6000	4235–02–800–01–0109
32	सीतापुर	लहरपुर में रा0 बालिका इण्टर कॉलेज में परीक्षा कक्ष का निर्माण	तदैव	पैकफेड	1	14.29	8.57	5.72	4.287	2.38	1.907	2.86	6000	4235–02–800–01–0109
		योग			23	9212.71	5527.71	3685.00	2763.81	925.94	**1837.90**	**1842.50**		
		कुलयोग			**213**	**17849.48**	**10583.56**	**7265.95**	**3969.816**	**2134.692**	**1837.899**	**2715.687**		
		महायोग (कॉलम-12 केन्द्रांश + कॉलम-13 राज्यांश)									**4553.586**			

नोट:- उपरोक्त चार्ट के क्रमांक-3 पर अंकित जनपद-सिद्धार्थनगर की 11 यूनिट आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भा0स0 द्वारा प्रथम किश्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 24.75 लाख अवमुक्त की गयी है जबकि उक्त परियोजना हेतु त्रुटिवश केन्द्रांश रू0 27.50 लाख का अंकन है, जिसके कारण धनराशि रू0 2.75 लाख अधिक निर्गत हो गयी है। उक्त धनराशि का समायोजन द्वितीय किश्त में किया जाना है।

क्रमांक-39 पर अंकित जनपद-सीतापुर के लहरपुर में रा0 बालिका इण्टर कॉलेज में परीक्षा कक्ष का निर्माण हेतु भारत सरकार के पत्र दिनांक 15.02.2019 में अवमुक्त प्रथम किश्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 4.287 है जबकि पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 08.03.2019 में त्रुटिवश प्रश्नगत परियोजना की धनराशि रू0 2.287 अंकित किया गया है, जो संशोधित कर लिया गया है।

क्रमांक-23 पर अंकित जनपद कतिपय जिला (134वीं इम्पावर्ड कमेटी में स्वीकृत जनपदों में 18 सद्भाव मण्डप के निर्माण की इकाई लागत रू0 120.00 लाख के अनुसार केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि भारत सरकार द्वारा पूर्व में अवमुक्त की गयी थी) हेतु कर्नाटक मॉडल के अनुरूप सद्भाव मण्डप के निर्माण की इकाई लागत को पुनर्निर्धारित करते हुए रू0 234.00 लाख के आधार पर पूर्व में अवमुक्त 18 सद्भाव मण्डप के निर्माण की प्रथम किश्त केन्द्रांश की अवशेष धनराशि रू0 110.16 लाख अवमुक्त की गयी है।

उपरोक्त तालिका में अंकित परियोजनाओं में सद्भाव मण्डप परियोजनाएं तीन किश्तों में अर्थात 30:30:40 के अनुपात में तथा शेष परियोजनाएं दो किश्तों में अवमुक्त की जानी है। पेयजल परियोजना का अनुपात 50:50 तथा शेष परियोजनाओं का अनुपात 60:40 है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उल्लेखनीय है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2019/बी0-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-15 (ख) में निम्नवत व्यवस्था निर्धारित है :-

> "यदि प्रशासकीय विभाग किसी प्रकरण में केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि एक साथ जारी किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य पाते हैं तो प्राप्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी कर सकते है।"

4- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-138 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रयोजन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा तालिका के कॉलम-5 में **उल्लिखित कार्यदायी संस्था** को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित अवधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(3)- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(4)- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है ।

(5)- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

(6)- कार्य की विशिष्टयॉ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निर्माणकारी संस्था की होगी तथा निर्माणकारी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित परियोजनाओं के

http://shasanadesh.up.gov.in

निर्माण की डिजाइन वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित है ।

(7)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो, यह सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग की जायेगी ।

(8)- धनराशि आहरित कर बैंक आदि में नहीं रखी जायेगी। उपरोक्त तालिका के कॉलम-3 में उल्लिखित परियोजनाओं हेतु मांगी गयी एवं जारी की जा रही धनराशि को सम्बन्धित मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचत से मिलान करने के उपरान्त ही निदेशालय द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(9)- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22.03.2019 एवं 30.03.2018, 24.04.2018, 21.06.2017, 03.08.2017 एवं दिनांक 26.08.2014 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10)- लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

(11)- कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित सीमा तक सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा ।

(12)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(13)- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(14)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा ।

(15)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(16)- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।

(17)- निर्माण कार्य निर्विवादित भूमि पर ही किया जायेगा तथा निर्विवादित भूमि की उपलब्धता जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था

http://shasanadesh.up.gov.in

तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी विवादित स्थल पर निर्माण कार्य न किया जाय । सम्बन्धित परियोजना हेतु धनराशि जारीकरने से पूर्व परियोजना के लिए निंविवादित एवं उपयुक्त भूमि की उपलब्धता निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा सुनिश्चित की जायेगी यदि उपयुक्त/निर्विवादित भूमि पर परियोजना का निर्माण न होने की स्थिति में धनराशि के निष्फल व्यय की स्थिति उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा।

(18)– उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी, कार्यदायी संस्था एवं सम्बन्धित विभाग का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा तथा प्रथम किश्त के कार्यों की गुणवत्ता रिपोर्ट जिलाधिकारी से प्राप्त करने का दायित्व अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का होगा।

5- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-उक्त प्रस्तर-2 की तालिका के कॉलम-15 में उल्लिखित उपलेखा शीर्षकों के नामे डाला जायेगा ।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-294/दस-2020, दिनांक 27.03.2020 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या-387(1)/बावन-1-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, सम्बन्धित विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बन्धित परियोजना के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

UniCode Gov. Inter College. G.O1

http://shasanadesh.up.gov.in

7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

8- निदेशक, परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग, लखनऊ।

9- प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित कार्यदायी संस्था (तालिका के **कॉलम-5)** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत निर्माण कार्य को समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने हेतु।

10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

11- वित्त एवं लेखाधिकारी , अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

12- सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उ0प्र0।

13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।

14- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय सेप्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in